

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 12/06/2020

फा0क0 2383/21-ब(दो), राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 651.343/21-ब(दो) दिनांक 24/01/2019 द्वारा नियुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी, अधिवक्ता, इन्दौर को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल म0प्र0 के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु, मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- (पच्चपन हजार रुपये) पर उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 24/01/2020 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हूँ। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे। पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( गोपाल श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 12/06/2020

पृ0क्रमांक 2383/21-ब(दो),

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर नस्ती यू0ओ0क0 41/2020/1-10 दिनांक 04.06.2020 के संदर्भ में, आदेश की प्रति संलग्न कर, नस्ती मूलतः वापस लौटाई जाती हैं।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. महानिर्देशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन कार्यालय, भोपाल म0प्र0
6. श्री राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी, अधिवक्ता, कार्यालय-315, सिटी सेंटर उच्च न्यायालय के पीछे, एम.जी.रोड, इन्दौर
7. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, समाधान भवन, भोपाल,
8. निजी सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
9. उप नियंत्रक, शासकीय, केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज रोड, भोपाल की ओर राजपत्र के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR  
20 JUL 2020  
2458  
Reg No. ....  
Receipt Clerk  
High Court Jabalpur

20.7.20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अति0 सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,